

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मांग संख्या 44
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	66575.56	2799.23	69374.79	104590.24	1733.60	106323.84	114204.88	4233.50	118438.38	114771.54	4355.61	119127.15
<i>वसूलियां</i>	-5845.38	-1132.33	-6977.71	-40644.14	-667.90	-41312.04	-39572.38	...	-39572.38	-46011.51	-1846.87	-47858.38
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	60730.18	1666.90	62397.08	63946.10	1065.70	65011.80	74632.50	4233.50	78866.00	68760.03	2508.74	71268.77
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	189.20	...	189.20	205.00	...	205.00	202.49	...	202.49	228.87	...	228.87
2. निर्देशन एवं प्रशासन	57.55	...	57.55	61.62	...	61.62	62.42	...	62.42	68.71	...	68.71
3. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	1334.02	14.95	1348.97	1277.52	20.00	1297.52	1514.36	25.26	1539.62	1748.03	21.92	1769.95
4. सफदरजंग अस्पताल और वर्द्धमान महावीर चिकित्सा कॉलेज, नई दिल्ली	1246.59	119.82	1366.41	1264.00	54.86	1318.86	1491.92	191.26	1683.18	1435.64	110.14	1545.78
5. डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और डॉ. आरएमएल पीजीआईएमईआर, नई दिल्ली	682.00	100.53	782.53	795.00	90.60	885.60	749.75	118.60	868.35	808.10	142.00	950.10
6. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	456.97	25.87	482.84	486.00	16.44	502.44	509.90	146.60	656.50	532.77	68.02	600.79
7. कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली	112.91	8.49	121.40	127.55	9.20	136.75	132.92	9.20	142.12	139.83	10.09	149.92
8. अन्य अस्पताल / संस्थान	665.91	93.49	759.40	759.52	51.90	811.42	751.00	43.90	794.90	815.81	115.87	931.68
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	4745.15	363.15	5108.30	4976.21	243.00	5219.21	5414.76	534.82	5949.58	5777.76	468.04	6245.80
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
9. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना												
9.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता (जीवीएस)	173.90	...	173.90	1620.00	...	1620.00	2209.35	2447.90	4657.25	2850.00	...	2850.00
9.02 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि	2658.56	1130.82	3789.38	2332.10	667.90	3000.00	1460.00	...	1460.00	1633.13	1846.87	3480.00
9.03 हेफा ऋण से मूलधन की अदायगी	623.20	...	623.20	1050.00	...	1050.00	1050.00	...	1050.00	420.00	...	420.00
9.04 हेफा ऋण से ब्याज का भुगतान	97.00	...	97.00	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00	250.00	...	250.00
<i>जोड़- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना</i>	<i>3552.66</i>	<i>1130.82</i>	<i>4683.48</i>	<i>5352.10</i>	<i>667.90</i>	<i>6020.00</i>	<i>5069.35</i>	<i>2447.90</i>	<i>7517.25</i>	<i>5153.13</i>	<i>1846.87</i>	<i>7000.00</i>
10. राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2800.97	12.11	2813.08	2846.16	53.84	2900.00	2846.16	53.84	2900.00	2878.50	21.50	2900.00
11. परिवार कल्याण योजनाएं	489.41	...	489.41	600.00	...	600.00	495.69	...	495.69	387.15	...	387.15

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना तथा सुदृढीकरण एवं स्वास्थ्य पहलें – जूनेटिक रोग तथा अन्य उष्ण कटिबंधीय रोगों के नियंत्रण तथा वायरल हेपेटाइटिस एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय	19.57	3.46	23.03	37.00	15.00	52.00	26.60	15.00	41.60	40.00	21.44	61.44
13. राष्ट्रीय औषधि सतर्कता कार्यक्रम	7.79	...	7.79	10.00	...	10.00	8.01	...	8.01	10.00	...	10.00
14. परिचर्या सेवाओं का विकास	39.78	...	39.78	16.00	...	16.00	14.68	...	14.68	17.54	...	17.54
15. स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास	166.39	39.88	206.27	85.78	44.22	130.00	36.83	0.55	37.38	77.18	52.82	130.00
16. राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम	11.42	1.08	12.50	31.65	1.35	33.00	6.00	...	6.00	29.15	1.35	30.50
17. अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी (आईएमपीआरआईएनटी) योजना पर प्रभाव स्कीम	7.42	...	7.42
18. कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-ईएसी												
18.01 राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान (एनसीडीसी) दिल्ली	52.00	43.00	95.00
18.02 कोविड-19 के लिए आपूर्ति एवं सामग्री की केंद्रीय खरीद	3626.00	1098.00	4724.00
18.03 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना (एनआरएचएम)	6937.96	...	6937.96
जोड़- कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-ईएसी	10615.96	1141.00	11756.96
19. स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा फ्रंटलाइन कार्मिकों हेतु कोविड-19 टीकाकरण-एनएचएम	360.00	...	360.00
20. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन -एनएचएम	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं	7095.41	1187.35	8282.76	8978.69	782.31	9761.00	19509.28	3658.29	23167.57	8622.65	1943.98	10566.63
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
21. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण	301.22	...	301.22	283.71	...	283.71	239.12	...	239.12	288.35	...	288.35
22. भारतीय भेषज संग्रह आयोग	24.29	...	24.29	21.85	...	21.85	20.35	...	20.35	23.95	...	23.95
23. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद	1.00	...	1.00	0.89	...	0.89	0.50	...	0.50	0.98	...	0.98
24. भारतीय दंत चिकित्सा परिषद	0.40	...	0.40	0.38	...	0.38	0.38	...	0.38	0.38	...	0.38
25. भारतीय फॉर्मेसी परिषद	0.20	...	0.20	0.18	...	0.18	0.18	...	0.18	0.20	...	0.20
26. भारतीय उपचर्या परिषद	0.21	...	0.21	0.19	...	0.19	0.19	...	0.19	0.19	...	0.19
27. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी	1.80	...	1.80	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60
28. राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	329.12	...	329.12	308.81	...	308.81	262.33	...	262.33	315.66	...	315.66
स्वायत्त निकाय												
29. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान												
29.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता	3255.09	...	3255.09	2135.95	...	2135.95	3392.86	...	3392.86	7.00	...	7.00
29.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता (एनआईएफ)	43.00	...	43.00	1256.91	...	1256.91	3695.90	...	3695.90
29.03 हेफा ऋण से ब्याज का भुगतान	44.60	...	44.60	44.60	...	44.60	44.60	...	44.60	44.60	...	44.60
29.04 हेफा ऋण से मूलधन की अदायगी	52.50	...	52.50	52.50	...	52.50	52.50	...	52.50	52.50	...	52.50

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- अबिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	3395.19	...	3395.19	3489.96	...	3489.96	3489.96	...	3489.96	3800.00	...	3800.00
30. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़												
30.01 सकल बजटीय सहायता (जीवीएस) से समर्थन	1665.50	...	1665.50	51.53	...	51.53	1861.53	...	1861.53	302.69	...	302.69
30.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता (एनआईएफ)	7.00	...	7.00	1375.00	...	1375.00	1311.13	...	1311.13
जोड़- स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	1672.50	...	1672.50	1426.53	...	1426.53	1861.53	...	1861.53	1613.82	...	1613.82
31. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी												
31.01 सकल बजटीय सहायता (जीवीएस) से समर्थन	929.98	...	929.98	0.01	...	0.01	900.00	...	900.00	7.03	...	7.03
31.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता (एनआईएफ)	2.56	...	2.56	999.99	...	999.99	992.97	...	992.97
जोड़- जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी	932.54	...	932.54	1000.00	...	1000.00	900.00	...	900.00	1000.00	...	1000.00
32. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलुरु	453.41	...	453.41	434.43	...	434.43	474.43	...	474.43	500.44	...	500.44
33. इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग	362.00	...	362.00	310.31	...	310.31	310.31	...	310.31	350.00	...	350.00
34. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल	459.66	...	459.66	354.64	...	354.64	421.60	...	421.60	438.77	...	438.77
35. क्षेत्रीय पराचिकित्सा एवं परिचर्चा विज्ञान संस्थान, आईजोल	40.48	...	40.48	35.46	...	35.46	43.00	...	43.00	88.87	...	88.87
36. लोकप्रिय गोपीनाथ बोरंदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर	55.00	...	55.00	53.20	...	53.20	46.00	...	46.00	57.00	...	57.00
37. अन्य स्वायत्त निकाय												
37.01 सकल बजटीय सहायता (जीवीएस) से सहायता	572.21	...	572.21	715.80	...	715.80	637.77	...	637.77	717.21	...	717.21
37.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता (एनआईएफ)	49.19	...	49.19
जोड़- अन्य स्वायत्त निकाय	621.40	...	621.40	715.80	...	715.80	637.77	...	637.77	717.21	...	717.21
जोड़-स्वायत्त निकाय	7992.18	...	7992.18	7820.33	...	7820.33	8184.60	...	8184.60	8566.11	...	8566.11
अन्य												
38. सीजीएचएस पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सीय उपचार (पीओआरवी)	2617.22	...	2617.22	1750.17	...	1750.17	2805.00	...	2805.00	2300.00	...	2300.00
39. भारत और विदेश में सामग्री की खरीद												
39.01 सकल बजटीय सहायता	283.18	...	283.18	310.00	...	310.00	310.00	...	310.00	300.00	...	300.00
39.02 घटाएं- वसूलियां	-144.49	...	-144.49	-310.00	...	-310.00	-310.00	...	-310.00	-300.00	...	-300.00
निवल	138.69	...	138.69
40. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	51.34	100.00	151.34	70.00	29.39	99.39	69.99	29.39	99.38	72.69	32.22	104.91
41. अन्य विविध व्यय												
41.01 सकल बजटीय सहायता	98.16	16.40	114.56	206.06	10.00	216.06	104.90	11.00	115.90	132.66	59.50	192.16
41.02 कम वसूलियां	-2.17	...	-2.17	-1.61	...	-1.61
निवल	98.16	16.40	114.56	203.89	10.00	213.89	103.29	11.00	114.29	132.66	59.50	192.16
42. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता	43.00	...	43.00	32270.00	...	32270.00	11500.00	...	11500.00	14000.00	...	14000.00
43. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से पूरी की गई राशि	-43.00	...	-43.00	-32270.00	...	-32270.00	-11500.00	...	-11500.00	-14000.00	...	-14000.00
44. केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से सहायता	2839.05	1132.33	3971.38	3732.10	667.90	4400.00	2860.00	...	2860.00	2303.13	1846.87	4150.00
45. केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से राशि पूरी की गई	-2839.05	-1132.33	-3971.38	-3732.10	-667.90	-4400.00	-2860.00	...	-2860.00	-2303.13	-1846.87	-4150.00
जोड़-अन्य	2905.41	116.40	3021.81	2024.06	39.39	2063.45	2978.28	40.39	3018.67	2505.35	91.72	2597.07

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	11226.71	116.40	11343.11	10153.20	39.39	10192.59	11425.21	40.39	11465.60	11387.12	91.72	11478.84	
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण													
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं													
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन													
<i>46. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन</i>													
46.01	नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	1981.93	...	1981.93	7751.54	...	7751.54	8139.22	...	8139.22
		-1689.03	...	-1689.03	-2048.52	...	-2048.52	-1865.90	...	-1865.90
	<i>निवल</i>	<i>292.90</i>	...	<i>292.90</i>	<i>5703.02</i>	...	<i>5703.02</i>	<i>6273.32</i>	...	<i>6273.32</i>
46.02	आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल जिसमें नैमित्तिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि शामिल हैं (सकल बजटीय सहायता)	5609.15	...	5609.15	2586.52	...	2586.52
		-2586.52	...	-2586.52
	<i>निवल</i>	<i>5609.15</i>	...	<i>5609.15</i>
46.03	आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल जिसमें रूटीन प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि (पीएमएसएसएन) शामिल हैं।	6241.02	...	6241.02
46.04	एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)	9749.08	...	9749.08	9749.08	...	9749.08	9.68	...	9.68
46.05	एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण (सकल बजटीय सहायता)	11635.33	...	11635.33	836.99	...	836.99	1999.01	...	1999.01	608.59	...	608.59
46.06	एनआरएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण (पीएमएसएसएन से सहायता)	12150.00	...	12150.00
46.07	आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्र (एनआईएफ)	1350.00	...	1350.00	1350.00	...	1350.00
46.08	आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्र (जीवीएस)	1444.53	...	1444.53
46.09	आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्र (पीएमएसएसएन से सहायता)	1650.00	...	1650.00
46.10	संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सीबल पूल	4234.01	...	4234.01	4459.35	...	4459.35	4424.39	...	4424.39	4720.48	...	4720.48
		-876.57	...	-876.57	-2281.35	...	-2281.35	-2314.25	...	-2314.25	-2542.48	...	-2542.48
	<i>निवल</i>	<i>3357.44</i>	...	<i>3357.44</i>	<i>2178.00</i>	...	<i>2178.00</i>	<i>2110.14</i>	...	<i>2110.14</i>	<i>2178.00</i>	...	<i>2178.00</i>
46.11	असंक्रामक रोगों, चोट और ट्रामा के फ्लेक्सिबल पूल	674.78	...	674.78	717.00	...	717.00	403.51	...	403.51
46.12	असंक्रामक रोगों, चोट और ट्रामा के फ्लेक्सिबल पूल (राष्ट्रीय	717.00	...	717.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
निवेश निधि से सहायता)												
46.13 अवसंरचना अनुरक्षण	6737.60	...	6737.60	6343.41	...	6343.41	1070.43	...	1070.43	6343.41	...	6343.41
46.14 अवसंरचना अनुरक्षण (पीएमएसएसएन)	5272.98	...	5272.98
46.15 प्रायोगिक स्कीमें (स्पोर्ट्स दवा, बधिर, लेफ्टोस्पिरॉमिस नियंत्रण, मानव रैबीज का नियंत्रण, चिकित्सीय पुनर्स्थापना, ओरल स्वास्थ्य, फ्ल्यूरोसिस)	18.38	...	18.38	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	20.00	...	20.00
46.16 प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर के लिए विकास योजना	63.36	...	63.36
46.17 एनआरएचएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन को सुदृढ़ करना	118.86	...	118.86	125.00	...	125.00	125.00	...	125.00	150.00	...	150.00
46.18 जनसंख्या स्थिरता कोष (जेएसके)	34.49	...	34.49	11.50	...	11.50	20.58	...	20.58
जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	29986.82	...	29986.82	27039.00	...	27039.00	28366.75	...	28366.75	30100.00	...	30100.00
47. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन												
47.01 एनयूएचएम के अंतर्गत कवर की गई गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (एनआईएफ)	700.00	...	700.00	150.92	...	150.92	750.00	...	750.00
47.02 एनयूएचएम के अंतर्गत कवर की गई गतिविधियों के लिए अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (जीबीएस)	696.84	...	696.84	549.08	...	549.08
47.03 आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्र (एन आई एफ)	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00
47.04 आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्र (जीबीएस)	153.22	...	153.22
जोड़- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	850.06	...	850.06	950.00	...	950.00	950.00	...	950.00	1000.00	...	1000.00
48. राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	206.00	...	206.00	175.00	...	175.00	130.00	...	130.00	175.00	...	175.00
49. तृतीयक परिचर्या कार्यक्रम												
49.01 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	2.51	...	2.51	40.00	...	40.00	27.36	...	27.36	40.00	...	40.00
49.02 ड्रामा केन्द्रों के लिए क्षमता निर्माण	2.14	...	2.14	100.00	...	100.00	20.00	...	20.00	60.00	...	60.00
49.03 कैंसर, मधुमेह, कार्डियो-वास्कुलर रोगों तथा पक्षाघात की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	150.02	...	150.02	175.00	...	175.00	133.86	...	133.86	175.00	...	175.00
49.04 वयोवृद्ध के लिए स्वास्थ्य परिचर्या	9.92	...	9.92	105.00	...	105.00	15.00	...	15.00	105.00	...	105.00
49.05 नेत्रहीनता के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	1.82	...	1.82	20.00	...	20.00	5.00	...	5.00	10.50	...	10.50
49.06 टेलीमेडिसिन	23.14	...	23.14	45.00	...	45.00	45.28	...	45.28	45.00	...	45.00
49.07 तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और नशा मुक्ति कार्यक्रम	51.58	...	51.58	64.00	1.00	65.00	65.00	...	65.00	60.00	5.00	65.00
जोड़- तृतीयक परिचर्या कार्यक्रम	241.13	...	241.13	549.00	1.00	550.00	311.50	...	311.50	495.50	5.00	500.50
50. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन												
50.01 परिचारिका सेवाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण (एएनएस/जीएनएम)	3.06	...	3.06
50.02 जिला अस्पताल- राज्य सरकारी चिकित्सा विद्यालयों का उन्नयन (पीजी सीट)	600.00	...	600.00
50.03 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय (यूजी सीट) तथा केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	761.00	...	761.00
50.04 नए चिकित्सा विद्यालयों की स्थापना (जिला अस्पतालों का	2000.00	...	2000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
उन्नयन)												
50.05 राज्यों में पराचिकित्सा विज्ञान संस्थानों की स्थापना तथा पराचिकित्सा शिक्षा के कॉलेजों की स्थापना	11.46	...	11.46
50.06 नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना तथा मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों (एनआईएफ) में सीटों की बढ़ोतरी	4686.00	...	4686.00
50.07 नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना तथा मौजूदा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों (पीएमएसएसएन) में सीटों की बढ़ोतरी	5386.00	...	5386.00	4800.00	...	4800.00
<i>जोड़- स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन</i>	<i>3375.52</i>	<i>...</i>	<i>3375.52</i>	<i>4686.00</i>	<i>...</i>	<i>4686.00</i>	<i>5386.00</i>	<i>...</i>	<i>5386.00</i>	<i>4800.00</i>	<i>...</i>	<i>4800.00</i>
जोड़-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	34659.53	...	34659.53	33399.00	1.00	33400.00	35144.25	...	35144.25	36570.50	5.00	36575.50
<i>51. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना</i>												
51.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता (जीबीएस)	56.61	...	56.61	29.00	...	29.00	29.00	...	29.00	1.00	...	1.00
51.02 राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता
<i>जोड़- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना</i>	<i>56.61</i>	<i>...</i>	<i>56.61</i>	<i>29.00</i>	<i>...</i>	<i>29.00</i>	<i>29.00</i>	<i>...</i>	<i>29.00</i>	<i>1.00</i>	<i>...</i>	<i>1.00</i>
<i>52. आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)</i>												
52.01 सकल बजटीय सहायता से सहायता (जीबीएस)	3200.00	...	3200.00	200.00	...	200.00
52.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता	6200.00	...	6200.00
52.03 (पीएमएसएसएन) से सहायता	3100.00	...	3100.00	6400.00	...	6400.00
<i>जोड़- आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)</i>	<i>3200.00</i>	<i>...</i>	<i>3200.00</i>	<i>6400.00</i>	<i>...</i>	<i>6400.00</i>	<i>3100.00</i>	<i>...</i>	<i>3100.00</i>	<i>6400.00</i>	<i>...</i>	<i>6400.00</i>
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन												
53. वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	1.00	...	1.00
<i>54. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन)</i>												
54.01 पीएमएसएसएन हेतु सहायता	20000.00	...	20000.00	25000.00	...	25000.00
54.02 पीएमएसएसएन से पूर्ण की गई राशि	-20000.00	...	-20000.00	-25000.00	...	-25000.00
<i>निवल</i>												
55. वास्तविक वसूलियां	-253.23	...	-253.23
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	37662.91	...	37662.91	39838.00	1.00	39839.00	38283.25	...	38283.25	42972.50	5.00	42977.50
कुल जोड़	60730.18	1666.90	62397.08	63946.10	1065.70	65011.80	74632.50	4233.50	78866.00	68760.03	2508.74	71268.77
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. मंत्रिपरिषद	3.44	...	3.44	6.00	...	6.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
2. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2617.22	...	2617.22	1750.17	...	1750.17	2805.00	...	2805.00	2300.00	...	2300.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	2620.66	...	2620.66	1756.17	...	1756.17	2808.00	...	2808.00	2305.00	...	2305.00
सामाजिक सेवाएं												
3. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	24060.23	...	24060.23	26414.89	...	26414.89	28085.41	...	28085.41	27637.15	...	27637.15

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
4. परिवार कल्याण	1176.77	...	1176.77	1165.60	...	1165.60	1052.64	...	1052.64	999.58	...	999.58
5. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.10	...	0.10	0.01	...	0.01	0.10	...	0.10
6. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	189.20	...	189.20	205.00	...	205.00	202.49	...	202.49	228.87	...	228.87
7. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	...	1640.21	1640.21	...	996.19	996.19	...	4166.30	4166.30	...	2434.33	2434.33
8. परिवार कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	8.94	8.94	...	10.00	10.00	...	7.15	7.15	...	10.22	10.22
9. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	17.75	17.75	...	9.51	9.51	...	10.05	10.05	...	14.19	14.19
जोड़-सामाजिक सेवाएं	25426.20	1666.90	27093.10	27785.59	1015.70	28801.29	29340.55	4183.50	33524.05	28865.70	2458.74	31324.44
अन्य												
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र	4950.00	...	4950.00	4523.41	...	4523.41	5414.40	...	5414.40
11. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	32253.80	...	32253.80	28590.78	...	28590.78	35825.05	...	35825.05	31074.43	...	31074.43
12. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	429.52	...	429.52	863.56	...	863.56	2135.49	...	2135.49	1100.50	...	1100.50
13. सहायता सामग्री और उपस्कर
14. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00
जोड़-अन्य	32683.32	...	32683.32	34404.34	50.00	34454.34	42483.95	50.00	42533.95	37589.33	50.00	37639.33
कुल जोड़	60730.18	1666.90	62397.08	63946.10	1065.70	65011.80	74632.50	4233.50	78866.00	68760.03	2508.74	71268.77

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी द्वारा उगाहा गया ईवीआर	3000.00	3000.00
2. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	86.69	86.69	...	43.34	43.34
3. एचएलएल मीडिया पार्क लिमिटेड	12.19	12.19	...	43.62	43.62
4. गोवा प्रतिजीवी और भेषज लिमिटेड	0.65	0.65	...	0.95	0.95
जोड़	3000.00	3000.00	...	99.53	99.53	...	87.91	87.91

1. **सचिवालय:** इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिवालय हेतु प्रावधान हैं।

2. **निर्देशन एवं प्रशासन:** यह चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संबंधी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी है व देश और विदेश में जैव चिकित्सीय सूचना को एकत्र करने, प्रसंस्कृत करने एवं उसकी आपूर्ति करने के लिए एक मुख्य स्थान के रूप में कार्य करता है।

3. **केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना:** यह सांसदों, पूर्व-सांसदों, पूर्व उप-राज्यपालों, पूर्व उप-राष्ट्रपतियों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों आदि के अलावा यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनधारकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सुविधाओं में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी/सिद्ध औषधालयों/इकाइयों के नेटवर्क के जरिए बहिरंग रोगी परिचर्या शामिल है।

4. **सफदरजंग अस्पताल और वर्द्धमान महावीर चिकित्सा कॉलेज, नई दिल्ली:** यह केंद्र सरकार का एक अस्पताल है जो चिकित्सा परिचर्या प्रदान कर रहा है। यह अपने परिसर में निःशुल्क आयुर्वेदिक ओपीडी, होम्योपैथिक ओपीडी भी संचालित करता है। इस अस्पताल से संबद्ध एक चिकित्सा कॉलेज है जिसका नाम वर्द्धमान महावीर चिकित्सा कॉलेज है।

5. **डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और डॉ. आरएमएल पीजीआईएमईआर, नई दिल्ली:** यह केंद्र सरकार का एक अस्पताल है जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सांसदों आदि के लिए नर्सिंग होम है। यह अस्पताल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के स्नातक-पूर्व विद्यार्थियों को प्रशिक्षण केंद्र भी है। इस अस्पताल द्वारा एक नर्सिंग स्कूल भी संचालित किया जा रहा है।

6. **लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली:** इसे महिलाओं के लिए स्नातक-पूर्व एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रदान करने हेतु, छात्रों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए और महिलाओं एवं बच्चों को चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। विद्यार्थियों को व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस कॉलेज में संबद्ध अस्पताल अर्थात् श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल एवं कलावती सरन बाल चिकित्सालय भी हैं। यह नर्सिंग स्कूल भी संचालित करता है जहाँ नर्सिंग एवं नर्सधात्री संबंधी पाठ्यक्रम करवाए जाते हैं।

7. **कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली:** यह केवल बच्चों के रोगों के लिए अस्पताल है और इसका प्रबंधन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज द्वारा किया जाता है। यह बाल चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, अस्थि रोग विज्ञान में सुविधाएं तथा बच्चों के लिए गहन परिचर्या सुविधाएं प्रदान करता है।

8. **अन्य अस्पताल / संस्थान:** इसमें चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों एवं संस्थानों के लिए स्थापना संबंधी व्यय हेतु व्यवस्था है जैसे केंद्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान, रांची, अखिल भारतीय काय चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, आरएके नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली, केंद्रीय/क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, एपीएचओ सहित पत्तन स्वास्थ्य संगठन, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, वीसीजी बैक्सिन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई, सीआरआई, कसौली, एआईआईएच एंड पीएच, कोलकाता, सीसीटीसी, सिंगूर, क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय, परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, बाम्बे, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ आदि।

9. **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना:** वहनीय/ विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को सही करने तथा देश में गुणवत्तायुक्त चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। इस स्कीम में प्रथम चरण में एम्स जैसे 6 संस्थानों की स्थापना भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में प्रत्येक में एक; दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना और पीएमएसएसवाई के पहले चरण में 13 मौजूदा सरकारी चिकित्सा कॉलेज संस्थानों, दूसरे चरण में 6 संस्थानों और तीसरे चरण में 39 संस्थानों के उन्नयन की संकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, पीएमएसएसवाई, के चरण 6 के तहत प्रत्येक राज्य में चरणबद्ध तरीके से एम्स स्थापित करने और 12 और सरकारी मेडिकल कालेजों का दर्जा बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव है।

10. **राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/नगर पालिका एड्स नियंत्रण सोसायटियों को अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं। इनमें (क) रोकथाम (i) उच्च जोखिम समूहों और संक्रमण संवाही आवादी के बीच लक्षित इंटरवेंशन, (ii) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा और संचार

गतिविधियां, (iii) एसटीआई का उपचार, (iv) रक्त सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन, (v) माता-पिता से बच्चों में संचरण की रोकथाम सहित एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण सुविधाओं का प्रावधान, (vi) संपर्क कार्यकर्ता योजना के माध्यम से ग्रामीण जन सम्पर्क, (ख) एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल, सहयोग एवं उपचार उपलब्ध कराने हेतु क्रियाकलाप, (ग) क्षमता निर्माण, तथा (घ) नीतिपरक सूचना प्रबंधन हेतु क्रियाकलाप सम्मिलित हैं।

11. **परिवार कल्याण योजनाएं:** इस स्कीम में स्वस्थ नागरिक अभियान (एसएनए), जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान अध्ययन, सामाजिक विपणन तथा निःशुल्क संवितरण हेतु गर्भनिरोधकों की खरीद, एनएसवी/रिकेनेलाइजेशन तकनीकों में डॉक्टरों के प्रशिक्षण आदि का प्रावधान है।

12. **एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना तथा सुदृढीकरण एवं स्वास्थ्य पहलें – जूनेटिक रोग तथा अन्य उष्ण कटिबंधीय रोगों के नियंत्रण तथा वायरल हेपेटाइटिस एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध निगरानी के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय:** इस स्कीम में जन स्वास्थ्य महत्व के संचारी/संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण और अन्य स्वास्थ्य पहलों के सुदृढीकरण के क्षेत्र में जानकारी को बढ़ावा देने हेतु एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में संकल्पना की गई है। 2017-18 तक, मौजूदा योजनाओं को मजबूत करने और एनसीडीसी की 27 शाखाओं की स्थापना, जूनेटिक रोगों, वायरल हेपेटाइटिस और एंटी-माइक्रो रेसिस्टेंस की रोकथाम और नियंत्रण के सुदृढीकरण के समन्वय की अलग-अलग योजनाएं थीं, जिन्हें 2018-19 से एक योजना में मिला दिया गया है।

13. **राष्ट्रीय औषधि सतर्कता कार्यक्रम:** केंद्रीय क्षेत्र के इस कार्यक्रम के तहत भारत में आम तौर पर लिखि जाने वाली औषधियों पर विपरीत औषधि प्रतिक्रिया (एडीआर) एकत्र की जाती है तथा देश में नई औषधियों की शुरुआत के पश्चात् उनकी क्षमता एवं सुरक्षा पर डाटा बेस के रख-रखाव की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

14. **परिचर्या सेवाओं का विकास:** इसके तहत केंद्रीय क्षेत्र की चालू योजना आती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परिचर्या कर्मियों को परिचर्या शिक्षा, प्रशासन में उनके ज्ञान और कौशल को उन्नत करने के क्रम में नर्सों को प्रशिक्षण देना तथा नर्सिंग स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें नर्सिंग कालेज करने के लिए नर्सिंग स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ करना/ उनका उन्नयन करना है।

15. **स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास:** यह स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराता है।

16. **राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के तहत अंग प्रत्यारोपण हेतु पात्र मामलों के लिए अंग की खरीद करने तथा उनके वितरण की प्रणाली प्रारंभ करने के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र की योजना उपलब्ध है।

17. **अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी (आईएमपीआरआईएनटी) योजना पर प्रभाव स्कीम:** यह एक योजना है जिसे वर्ष 2016-17 के दौरान शुरू किया गया और जिसका कार्यान्वयन मूल रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित 7 अन्य भागीदार एजेंसियों के साथ मिलकर किया जाता है।

20. **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन -एनएचएम:** इसमें राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी प्रणाली का सृजन करने हेतु व्यवस्था दी गई है, जो प्रभावशाली, सर्वसुलभ, समावेशी, वहनीय, समयबद्ध रूप से और सुरक्षित तरीके से डाटा के विस्तृत रैंज, सूचना और अवसंरचना सेवाओं के प्रावधान, यथा खुले, अंतर प्रचालनीय, मानकों पर आधारित डिजिटल प्रणालियों का उपयोग कर और स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत सूचना की गोपनीयता और निजता सुनिश्चित करता है।

21. **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण:** इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है जिसका उद्देश्य खाद्य सामग्रियों के लिए वैज्ञानिक मानक निर्धारित करना और उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करना तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

22. **भारतीय भेषज संग्रह आयोग:** यह भारतीय भेषज संग्रह और उसका परिशिष्टक प्रकाशित करने, भारतीय भेषज संग्रह संदर्भ पदार्थ (आईपीआरएस) और अशुद्धता मानक तैयार करने तथा उन्हें वैध करने और औषधि विधेयक, औषधि निरीक्षकों तथा स्टेकहोल्डरों आदि का कौशल विकास का कार्य करता है।

23. **भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद:** यह एक सांविधिक निकाय है जिसे भारत में चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानदंड स्थापित करने और बनाए रखने तथा चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह भारत में प्रैक्टिस करने के लिए भारत में डॉक्टरों को पंजीकृत करती है ताकि आयुर्विज्ञान की प्रैक्टिस में समुचित मानक सुनिश्चित करके जनमानस के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा की जा सके एवं इन्हें प्रोत्साहन दिया जा सके।

24. **भारतीय दंत चिकित्सा परिषद:** यह पूरे भारत में दंत चिकित्सा, शिक्षा तथा दंत चिकित्सा विज्ञान के व्यवसाय को विनियमित करने हेतु संसद के अधिनियम अर्थात् दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का XVI) के अंतर्गत समावेशित एक सांविधिक निकाय है।

25. **भारतीय फार्मैसी परिषद:** यह स्नातक स्तर तक फार्मैसी शिक्षा तथा व्यवसाय को विनियमित करने हेतु एवं फार्मासिस्ट के रूप में अर्हक होने के लिए अपेक्षित शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करने हेतु शासित एक सांविधिक निकाय है।

26. **भारतीय उपचर्या परिषद:** यह नर्सों, नर्सधात्रियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण के एकसमान मानदंड स्थापित करने के लिए भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 3(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है।

27. **राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी:** यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के अंतर्गत गठित एक ऐसा उत्कृष्ट संस्थान है जो चिकित्सा और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने संसाधनों के रूप में शैक्षणिक उत्कृष्टता को संपोषित करता है और उपयोग में लाता है।

28. **राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड:** यह आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में देश में अपनी ही तरह का एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर परीक्षाओं के मानदंड स्थापित करके तथा उनके स्तर को उत्कृष्ट करके चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन करना है।

29. **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान:** इसकी स्थापना वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक शीर्ष संस्थान के रूप में की गई है जिसका उद्देश्य आयुर्विज्ञान सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग और अनुसंधान संचालित करना है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र इसके साथ संबद्ध है।

30. **स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़:** इस संस्थान की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गई थी। इसके कार्य भी एम्स, नई दिल्ली के कार्यों के समान ही है, किन्तु इसकी स्थापना स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए की गई है। यह संस्थान पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और आयुर्विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान तथा विशेष अस्पताल सेवाओं का केंद्र है।

31. **जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी:** यह संस्थान शिक्षा, रोगी आधारित विशेष अनुसन्धान, जनसमुदाय स्वास्थ्य एवं सेवा उत्कृष्टता द्वारा भारत में स्वास्थ्य प्रणाली में आदर्श स्वास्थ्य प्रणाली करना चाहता है। उसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के माध्यम से दयालु, नैतिकता से परिपूर्ण स्वास्थ्य पेशेवर को विकसित करना तथा स्वास्थ्य उपचार के क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर की सेवा प्रदान करना है।

32. **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलुरु:** यह मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है और अनुसंधान कार्य कर रहा है। यह संस्थान एक मानित विश्वविद्यालय है और मेडिकल तथा पैरामेडिकल विषयों में इस क्षेत्र में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करता है।

33. **इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग:** इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1987 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी लोगों को अन्य बातों के साथ-साथ विशेष चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध कराने तथा प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी का सृजन करने के उद्देश्य से की गई थी।

34. **क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल:** यह इम्फाल में स्थापित एक मेडिकल संस्थान है जिसमें 1074 बिस्तरों का अस्पताल है और जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है तथा जहां 100 एमबीबीएस, 50 बीडीएस, 50 बीएससी नर्सिंग और 147 स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा सीटों की दाखिला क्षमता के साथ शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। 7 पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर) और संपूर्ण भारत से छात्र स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किए जाते हैं।

35. **क्षेत्रीय पराचिकित्सा एवं परिचर्चा विज्ञान संस्थान, आईजोल:** इस संस्थान को मौजूदा 5 डिग्री पाठ्यक्रमों के अलावा विभिन्न पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु आवश्यक उपाय किए जाने के लिए 9वें आरआईपीएस (क्षेत्रीय पैरा-मेडिकल विज्ञान संस्थान) के रूप में अभिज्ञात किया गया है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को नर्सिंग, फार्मैसी और पैरा-मेडिकल विज्ञान में शिक्षा उपलब्ध कराना है।

36. **लोकप्रिय गोपीनाथ बोरंदोलीई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर:** यह पूर्वोत्तर में प्रमुख उच्च स्तरीय मनोचिकित्सा देखभाल संस्थान है। यह संस्थान देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी मरीजों की जरूरत को पूरा करता है। मरीज देखभाल सेवाओं के अलावा संस्थान ने शैक्षणिक क्षेत्र में भी क्रिया-कलापों का विस्तार किया है।

37. **अन्य स्वायत्त निकाय:** इसमें विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों अर्थात् लाला राम स्वरूप क्षय रोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली, बल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा, सीएनसीआई, कोलकाता, अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर, राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा, भारतीय पाश्चर संस्थान, कुचूर, एनआईएचएफडब्ल्यू, नई दिल्ली, आईआईपीएस, मुंबई आदि के लिए प्रावधान हैं।

38. **सीजीएचएस पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सीय उपचार (पीओआरबी):** इसके तहत सीजीएचएस पेंशनभोगियों के अस्पताल में भर्ती होने पर किये जाने वाले व्यय का प्रावधान किया गया है।

39. **भारत और विदेश में सामग्री की खरीद:** इसके तहत सरकारी अस्पतालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चिकित्सा भंडार संगठन द्वारा औषधि, दवाईयों एवं उपकरणों की खरीद का प्रावधान किया गया है।

40. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** इसमें स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के क्षेत्र में कार्य में कार्य करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस सोसायटी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समिति को दिया जाने वाला भारत सरकार का अंशदान तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनों पर अन्य व्यय का प्रावधान है।

41. **अन्य विविध व्यय:** इसमें विविध गैर-स्कीम संबंधी व्यय अर्थात् सार्वजनिक स्थानों पर दुर्घटनाओं, चोट या मृत्यु के कारण पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजा, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र, स्वास्थ्य मंत्री का विवेकाधीन अनुदान, हज यात्रियों के टीकाकरण के लिए वैक्सिनों का प्रापण करना, राष्ट्रीय आरोग्य निधि आदि का प्रावधान है।

46. **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन:** इसमें विशेष रूप से संवेदनशील वर्गों और समुदाय आधारित मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन से संबंधित निष्कर्षों पर विशेष ध्यान देते हुए राज्य और जिला स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं को तैयार करने सहित राज्यों द्वारा विकेंद्रीकृत आयोजना एवं लक्ष्य कार्यक्रम के लिए राज्यों को सहायता देने का प्रावधान है। इस मिशन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यक्रमों में ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए प्रावधान होते हैं जिनमें वेक्टर जनित रोग, क्षय रोग एवं कुछ रोग का नियंत्रण भी शामिल हैं।

47. **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन:** इसमें शहर के गरीब लोगों तथा समाज के संवेदनशील वर्गों पर विशेष फोकस के साथ शहरी जनसंख्या की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए राज्यों को अंतरण हेतु प्रावधान है। इस स्कीम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक उप-मिशन के रूप में शुरू किया गया है।

48. **राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण:** यह देश में औषध नियामक प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्र को वित्तीय सहायता मुहैया कराती है।

49. **तृतीयक परिचर्या कार्यक्रम:** इसमें तृतीयक परिचर्या कार्यक्रम/स्कीमों अर्थात् तंबाकू नियंत्रण, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, अभिघात केंद्र हेतु धमता निर्माण संबंधी सहायता, राष्ट्रीय कैसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग एवं आघात निवारण तथा नियंत्रण कार्यक्रम, वृद्धावस्था स्वास्थ्य परिचर्या, राष्ट्रीय वृष्टिहीनता एवं टेलीमेडिसिन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को अंतरण का प्रावधान है।

50. **स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन:** इसमें विधानमंडल वाले राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना (जिला अस्पतालों को उन्नत बनाकर), उपचर्या सेवाओं, फार्मसी स्कूलों/कॉलेजों, परा-चिकित्सा संस्थानों का उन्नयन/सुदृढीकरण तथा मौजूदा चिकित्सा कॉलेजों में स्नातक-पूर्व एवं स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि संबंधी प्रावधान के लिए अंतरण की व्यवस्था है।

51. **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना:** इसमें असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रावधान है। स्वास्थ्य संरक्षण की अपेक्षा की पूर्ति के लिए इस स्कीम को गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कामगारों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए शुरू किया गया है।

52. **आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई):** आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - यह भारत के पैनलबद्ध चिकित्सालयों में फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार रू. 5.00 लाख का कौशलरहित और पेपर रहित लाभ पहुंचाती है। इस समय ए बी पी एम जे ए वाई 10.79 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। (लगभग भारत की 50 प्रतिशत जनसंख्या कवर होती है)।

53. **वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना:** वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एससीएचआईएस) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का विस्तार था जोकि आरएसबीवाई तथा एससीएचआईएस को पीएमजेएवाई योजना में मिलाते हुए आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के नाम में एक नई योजना शुरू करने तक 01.04.2016 से कार्यान्वित की गई थी। यह योजना 60 वर्ष तथा उसके ऊपर की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कवर करती है जोकि आरएसबीवाई के अंतर्गत पहले से ही कवर थे। यह बीपीएल तथा असंगठित कामगारों की 11 अन्य परिभाषित श्रेणी से संबद्ध रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने में समर्थ हुई।